गढ़वाल मण्डल विकास निगम (GMVN) लि0 देहरादून द्वारा आसन नदी लॉट नं–14/1 में लघु लवणों के संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 11.07.2014 (प्रातः 11.00 बजे) स्थान पंचायत भवन पेलियो, नाथुवाला, विकास नगर, जनपद देहरादून का कार्यवृत्त।

मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा आसन नदी लॉट नं–14/1 में लघु लवणों के संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अधिसूचना–2006 के अतर्गत आच्छादित है। उक्त परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आख्या, पर्यावरणीय प्रभाव अधिसूचना–1994 यथासंशोधित के अनुसार तैयार की गयी है तथा लोक सुनवाई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2009 के अनुसार की गयी है।

दिनांक 30.06.2014 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), देहरादून श्री प्रताप सिंह शाह, की अध्यक्षता में पंचायत भवन पेलियो, नाथुवाला, विकास नगर, जनपद देहरादून में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में सुभाष पंवार (अ0 अभियन्ता) व सुनील डबराल (अनु0 सहा0) उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से 11 बजे प्रातः लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

सर्वप्रथम उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि सुभाष पंवार (अ0 अभियन्ता) द्वारा लोक सुनवाई के आयोजन के उद्देश्य के बारे में उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया और कहा गया कि उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा आसन नदी में लघु लवणों के संग्रहण/एकत्रण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की अधिसूचना सितम्बर–2006 यथा संशोधित के अनुसार परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई का प्राविधान है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि से नियमानुसार 30 दि पूर्व दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण व टाईम्स ऑफ इण्डिया के दिनांक 21.05.2014 क में इस आशय की सूचना प्रकाशित की गयी थी। विज्ञप्ति के माध्यम से जन साधा रा इस परियोजना के कियान्वयन से पूर्व सुझाव आपत्ति, टीप टिप्पणी आपेक्ष मांगे यदि स्थानीय लोगों की परियोजना के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव हैं तो लोक सुनवाई के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित गा, उनके द्वारा जन समुदाय से अनुरोध किया गया कि विचार, सुझाव परियो में अथवा विपक्ष में इस मंच के माध्यम से आमंत्रित हैं, जिनकी अनवरत ग एवं फोटोग्राफी भी की जायेगी। मंच के माध्यम से आप सभी के महत्वप योजना के कियान्वयन हेतु एक निर्णायक भूमिका की अभिव्यक्ति होगी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह शाह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय से कहा गया कि परियोजना के सम्बन्ध में जो भी आपत्ति एवं सुझाव हैं उन्हें मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करें, जिनको मिनिट्स में सम्मिलित कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित किया जायेगा।

इस अनुक्रम में मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम के परामर्शी संस्था के प्रतिनिधि श्री एस0पी0 सिंह द्वारा परियोजना से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दी गयी एवं अवगत कराया गया कि परियोजना का कुल क्षेत्रफल 18.4 है0 है। जो कि ग्राम सिंघनीवाला, शिमबाड़ा, तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून में स्थित है। उक्त परियोजना पूर्णतः सरकारी भूमि पर प्रस्तावित है। जिसे राज्य सरकार द्वारा गढ़वाल मण्डल विकास निगम को लीज पर दिया गया है। परियोजना हेतु किसी प्रकार की निजी भूमि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बोल्डर, बालू व बजरी का चुगान/खनन किया जाना है जिनका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। नदी में लघु लवणों के इकट्ठे होने की वजह से नदी अपना मार्ग बदल देती है, एवं चुगान न होने से बरसात में भूमि कटाव होता है, जिससे कि कृषि योग्य भूमि के साथ–साथ सड़कों/मार्गो को नुकसान पहुँचता है। खनन कार्य को वैज्ञानिक तरीके से किये जाने पर भूमि कटाव की रोकथाम के साथ–साथ स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध होंगे एवं खनिज के दामों में भी कमी आयेगी। परियोजना से लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं राज्य सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा। उन्होनें यह भी कहा कि इस परियोजना से रोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा। इस परियोजना में नदी के तटों से 15 प्रतिशत भाग को छोड़कर लघु लवणों का संग्रहण किया जायेगा, उनके द्वारा अपनी प्रस्तुतीकरण में यह भी बताया गया कि 1.5 मीटर गहराई तक रेत, बजरी, बालू का संग्रहण किया जायेगा और संग्रहण कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किया जायेगा तथा संग्रहण कार्य पूर्णतया मैनुअल किय जायेगा जिसमें कोई हैवी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जायेगा। यह परियोजना पूर्ण रू से वैज्ञानिक तरीके से की जायेगी। श्री एस0पी0 सिंह द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह अवगत कराया गया कि खनन कार्य से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्यावरण प्रबन्धन योजना (ईएमपी) बनायी गयी है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सड़कों पर छिड़काव एवं समय–समय पर वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण कर तदानुसार पर्यावर प्रबन्धन योजना बनायी जायेगी। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुश्रवण हेतु पर्याव रक्षा दल का गठन किया जायेगा। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना हेतु अलग से बज विधान किया गया है, जिसका उपयोग जल छिड़काव, सड़कों की मरम्मत एवं वृ दे कार्यों में किया जायेगा।

करण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत र यों का विवरण निम्नानुसार है–

सत्तार निवासी सिंघनीवाला द्वारा खनन कार्य में सहमति व्यक्त की गयी और कहा गया कि खनन कार्य बन्द होने से स्थानीय लोगों में बेरोजगारी बढ़ी है। अब्दुल सत्तार द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन कार्य वैध तरीके से होना चाहिए और कहा गया कि बाहरी व्यक्तियों को पट्टे आवांटित होने पर मनमर्जी से रायल्टी लेगा, जिसमें कि स्थानीय लोगों का उत्पीड़न होगा। इसलिये स्थानीय व्यक्तियों को ही पट्टे आवांटित किये जाने चाहिए। उनके द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि यदि पट्टे स्थानीय लोगों को न मिले तो खनन कार्य सिर्फ गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा ही किया जाना चाहिए।

2. **आरिफ, निवासी सिंघनीवाला** द्वारा खनन कार्य शुरू किये जाने से पूर्व लोक सुनवाई का स्वागत किया गया और खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी।

3. **मुकेश चौहान, निवासी पेलियो** द्वारा सुझाव दिया गया कि रायल्टी अधिक होने से अवैध खनन को बढ़ावा मिल रहा है। इसलिये सरकार द्वारा रायल्टी कम कर वैध खनन को बढ़ावा देना चाहिये।

4. **हरि सिंह, निवासी पेलियो, नाथुवाला** द्वारा खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी और सुझाव दिया गया कि खनन कार्य से पूर्व नदी के दोनों किनारों पर पक्की दीवारों का निर्माण एवं वैकल्पिक मार्ग का निर्माण किया जाना अनिवार्य है। खनन में लगे माल वाहक वाहनों को ग्रामीण सड़कों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण बरसात का कोई सीजन नहीं है। बरसात का स्तर हर क्षेत्र में अलग–अलग होता है। श्री हरि सिंह द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि खनन कार्य के दौरान जीव–जन्तु की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

श्रीमती कौशल सेरवाल, निवासी पेलियो, नाथुवाला द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन में लगे वाहनों हेतु वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था होनी चाहिए एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण /वादों का पालन पूर्णतयाः किया जा चाहिए।

श्रीमती अनीता, निवासी पेलियो, नाथुवाला द्वारा कहा गया कि खनन में लगे की रफ्तार से दुर्घटना होती रहती है। दुर्घटना को रोकने के उपाय किये जाने थानीय निवासियों के किये गये वायदों का पूर्णतयाः पालन किया जाना चाहिए र जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि खनिज नीति के अनुसार जाने से स्थानीय लोगों को प्राथमिकता का प्राविधान है। उनके द्वारा कहा त खनन कार्य राज्य सरकार की भूमि से किया जायेगा, सरकारी भूमि से अवैध खनन नहीं होगा, जिससे खनिज दर स्वतः कम हो जायेगी

व्यक्तियों को खनिज सामग्री में छूट हेतु शासन स्तर से पत्राचार किया जायेगा। राज्य सरकार की खनन नीति के अनुसार खनन कार्य से प्राप्त लाभांश के 5 प्रतिशत भाग को खनिज विकास निधि के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों के विकास कार्यों में व्यय किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पट्टा धारक संस्था द्वारा कारपोरेट सोशियल रिस्पोंसिबिलिटी (CSR) के अन्तर्गत अपने लाभांश का कुछ भाग स्थानीय सामाजिक एवं विकास कार्यों में व्यय किया जायेगा।

अन्त में उक्त आपत्तियों के अनुक्रम में जीएमवीएन के प्रतिनिधि द्वारा उपरोक्त सुझावों के अनुक्रम में अवगत कराया गया कि खनन वैज्ञानिक तरीके से किया जायेगा एवं खनन कार्य के दौरान माल वाहक वाहनों के परिवहन हेतु वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जायेगी एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुसार कार्य किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय ग्रामीणों के विकास हेतु कारपोरेट सोशियल रिस्पोंसिबिलिटी (CSR) के अन्तर्गत खनन कार्य से प्राप्त लाभांश का कुछ भाग विभिन्न सामाजिक विकास कार्य में व्यय किये जाने का भी प्राविधान है। स्थानीय स्तर पर खनन कार्य होने से स्थानीय रोजगार उपलब्ध होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बताया गया कि खनन कार्य न होने के कारण नदी का वास्तविक स्वरूप बदल जायेगा और नदी जंगल एवं कृषि भूमि का कटाव करेगी इसलिये नदी का चुगान वैज्ञानिक तरीके से करना अति आवश्यक है। परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय लोगों की सहभागिता का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खनन वैज्ञानिक तरीके से किया जाये जिससे पर्यावरणीय क्षति न हो। अन्त में सभा में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा हाथ खड़ कर खनन कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गयी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति के द्वारा समापन की घोषणा की गयी है। जन सुनवाई की कार्यवाही की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गयी है।

संलग्नक–

1. फोटो – 03
2. डी0वी0डी0 – 03
3. उपस्थिति पंजिका – 03

(सुनील डबराल)
अनु0 सहा0

(सुभाष पंवार)
अ0 अभियन्ता

(प्रताप सिंह शाह
अपर जिलाधिकारी (वि
देहरादून

...न नदी लोट संख्या 14/01 मु० चुक्खाल/रतन ...कुंप्रातः 11:00 बजे) स्थान पंचायत भवन ...लिया, तापुवाला विकास खण्ड रतनपुर ...जनपथ देहरादून में आयोजित ...सुनवाई में सा० जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति पंजिका।

क्र०	नाम व पद	पता	सेवा/दूरभाष	हस्ताक्षर
)	श्री० प्रतापसिंह शाह (Addnl P/R)	जिला प्रशासन देहरादून	9756555555	
)	श्री० सुभाष पंवार (अध्यक्ष)	प्रदू० नियं० बोर्ड देहरादून	9410333333	
	श्री० सुनिलदत्त बलूनी (सदस्य)	प्रदू० नियं० बोर्ड देहरादून	9654333220	
	श्री० एम० पी० सिंह (Adm)	श्री० आर० सी० तोमर।	9995373035।	
	श्री० वरदीप मेघपुरी	श्री० आर० सी० तोमर। पेलियो	9456115624	
	अजय चौहान			
	दुर्गा सत्तार	दीशमवाड़ा	9917917	
	रावत	दीशमवाड़ा	-	
	ish Gupta पंचायत	Naya gaon देवधार	9997 8126	

	नाम	पता	हस्ताक्षर
12	विष्णु	पेलियो	—
13	रामनाथ	पेलियो	—
14	भौतिक	पेलियो	—
15	अतर सिंह	पोनियो	—
16	[illegible] भोधानसिंह	पेलियो लिलीवाला	—
17	अनर सिंह	पेलियो	—
18	[illegible]	पेलियो	—
19	देवेंद्र	पेलियो	—
20	रामलाल	पेलियो	—
	रणवीर	रतनपुर	—
	शंकर	[illegible] सेवाला	—
	अशोक कुमार	रतनपुर	—
	लिया कक्ष अधि०	सिंदनीवाला	-
	विजय सिंह	[illegible] वाला	

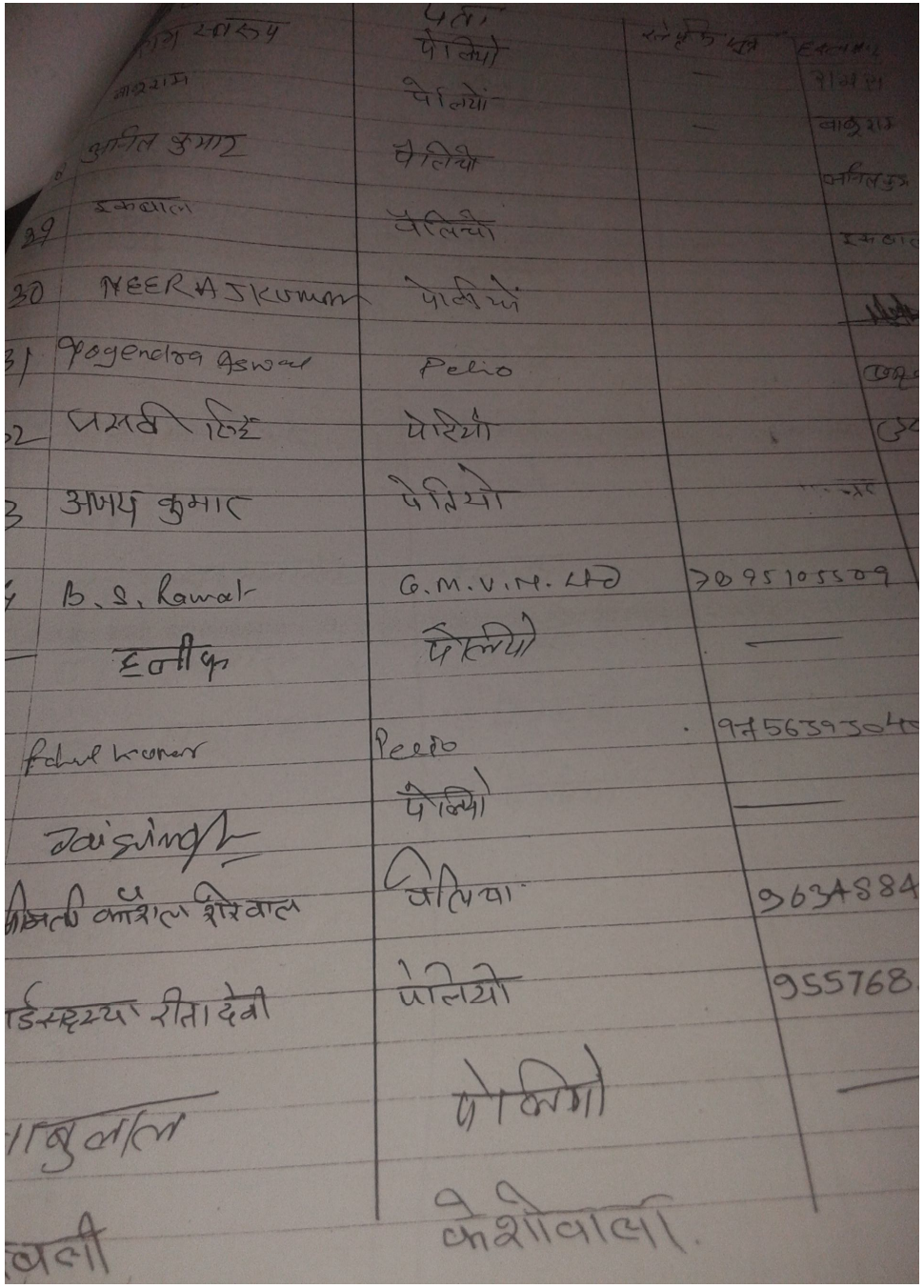

		पोलियो	
		पोलियो	
		पोलियो	
30	NEERAJKUMAR	पोलियो	
31	Yogendra Aswal	Polio	
32	प्रसन्नी सिंह	पोलियो	
33	अभय कुमार	पोलियो	
	B. S. Rawat	G.M.V.M.H.O	7895105509
	[illegible]	पोलियो	
	Rahul kumar	Polio	9458639304
	Rajsingh	पोलियो	
	[illegible]	पोलियो	963A884
	[illegible]	पोलियो	955768
	[illegible]	पोलियो	
	[illegible]	केशोवाली	

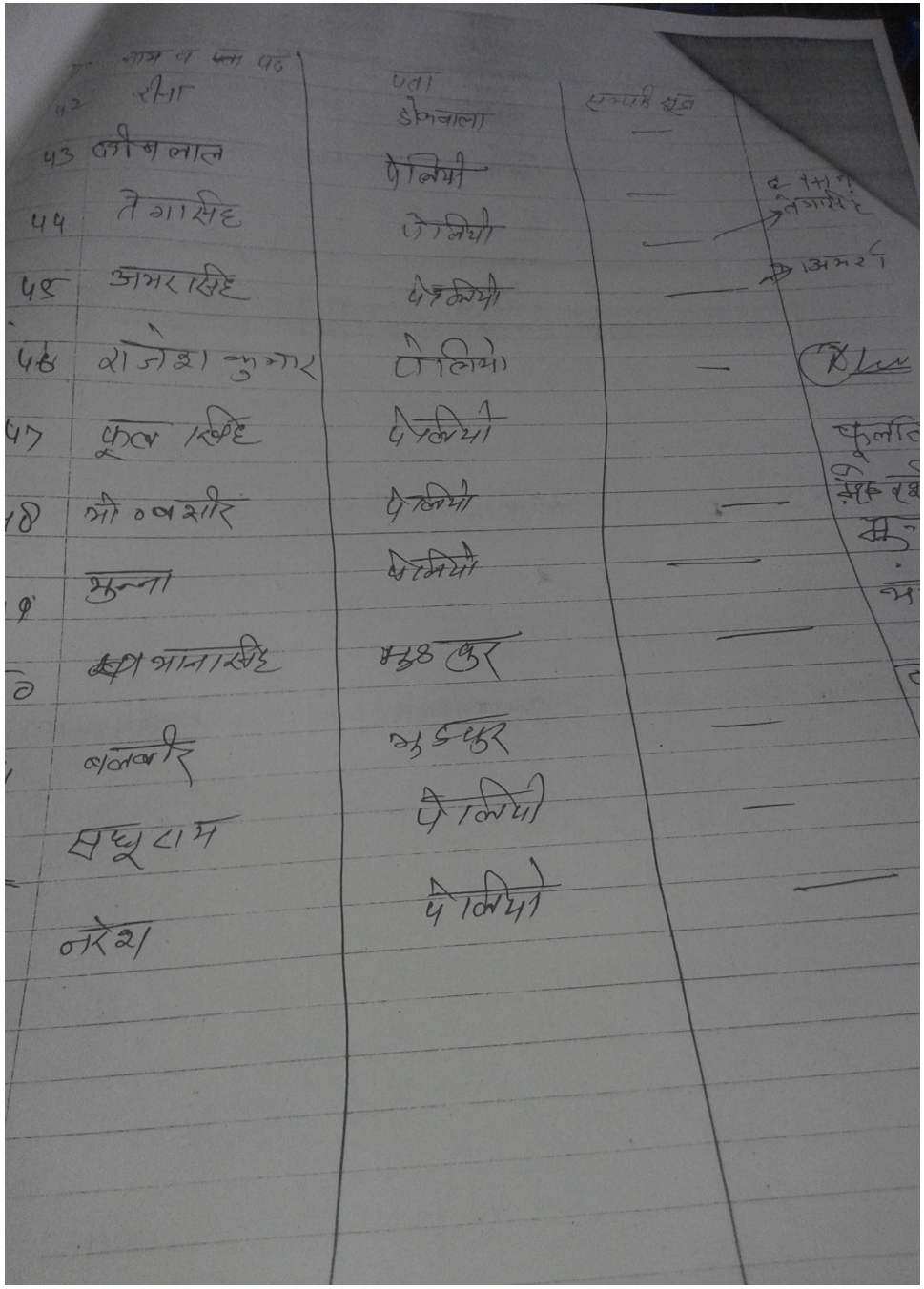

43	गरीब लाल	पोलियो	
44	तेगा सिंह	पोलियो	
45	अमर सिंह	पोलियो	
46	राजेश कुमार	पोलियो	
47	फूल सिंह	पोलियो	
48	मो० वसीर	पोलियो	
	[illegible]	पोलियो	
	[illegible]	मडकुर	
	[illegible]	डुडधर	
	[illegible]	पोलियो	
	[illegible]	पोलियो	